

Seventeenth Loksabha

>

Title: Request to revert the governments decision to increase the BSF operational limit from 15 to 50 kilometers in the adjoining border areas in the country.

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो ऐसी कुछ दो-तीन बातें हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष जी, सबसे पहले जो विषय श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्री एस. एस. अहलुवालिया और श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी ने उठाया था, मैं आपने आपको उसके साथ एसोसिएट करता हूँ । जो श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत है, उसको इस सदन को जोड़ना चाहिए, न कि उसके ऊपर अलग-अलग ध्वनि सुनाई देनी चाहिए । एक शायर ने लिखा था :

“नौ वरेया दे नानक ने आप जंजू नई पाया और

नौ वरेया दे गोविन्द ने नौवें नानक नू जंजू दी रक्षा

वास्ते विदा किता और मुस्कराया ।”

यह संस्कृति थी पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की, जिसने इस देश की हिफाजत की है ।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ दो बातें सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ । 11 अक्टूबर, 2021 को भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन और अध्यादेश जारी किया था, उससे पंजाब में बीएसएफ की ऑपरेशनल रिमिट 15 से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दी थी । यह अध्यादेश, जो बीएसएफ का कानून है, उसके सेक्शन 139 के बिल्कुल विरुद्ध है । वह कानून कहता है कि “Adjoining the border areas of India”. पंजाब भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत ही छोटा प्रदेश है और जब आप 50 किलोमीटर की बात करते हैं तो इसका यह मतलब है कि आधा पंजाब बीएसएफ की गिरफ्त में आ जाता है । मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के हिसाब से, जो लिस्ट-2 की एंट्री-1 और एंट्री-2 हैं – पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट्स हैं । पंजाब की विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि यह जो नोटिफिकेशन है, इसको वापस लिया जाए । सरकार में मेरी मांग है कि बीएसएफ की ऑपरेशनल रिमिट बढ़ाने का जो अध्यादेश है, यह संघीय ढांचे के ऊपर आघात है । पंजाब सरकार से बात किए बगैर यह काम किया गया है और इसे वापस लिया जाना चाहिए ।